क्रम-संख्या–231(क-2)

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी०/एल०–डब्लू०/एन०पी०–91/2011–13
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, सोमवार, 19 सितम्बर, 2011
भाद्रपद 28, 1933 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

राजस्व अनुभाग–14

संख्या 1884/एक-14–2011–33(100)-2010-टी०सी०-I
लखनऊ, 19 सितम्बर, 2011

अधिसूचना

प०आ०–520

उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 1904) की धारा 21 के साथ पठित उत्तर प्रदेश जनहित गारण्टी अधिनियम, 2011 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 3, सन् 2011) की धारा 3 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल सरकारी अधिसूचना संख्या 2198/एक-14–2010-33(100)–2010टी०सी०-III, दिनांक 15 जनवरी, 2011 में निम्नलिखित संशोधन करते है :–

संशोधन

उक्त अधिसूचना में अनुसूची में क्रम संख्या-4 की प्रविष्टि के बाद निम्नलिखित प्रविष्टि स्तम्भवार बढ़ा दी जायेगी; अर्थातः–

1	2	3	4	5	6	7	8
5	परिवहन	चालन अनुज्ञप्ति की द्वितीय प्रति जारी करना	अनुज्ञापन प्राधिकारी	07 कार्य दिवस	सम्बन्धित क्षेत्र का क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी	45 कार्य दिवस	मण्डलीय आयुक्त
		परिचालक अनुज्ञप्ति की द्वितीय प्रति जारी करना	अनुज्ञापन प्राधिकारी	07 कार्य दिवस	सम्बन्धित क्षेत्र का क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी	45 कार्य दिवस	मण्डलीय आयुक्त

1	2	3	4	5	6	7	8
5	परिवहन	रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र की द्वितीय प्रति जारी करना।	रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी	07 कार्य दिवस	सम्बन्धित क्षेत्र का क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी	45 कार्य दिवस	मण्डलीय आयुक्त
		परमिट की द्वितीय प्रति जारी करना।	सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारी	07 कार्य दिवस	सम्बन्धित क्षेत्र का उप परिवहन आयुक्त	45 कार्य दिवस	मण्डलीय आयुक्त

आज्ञा से,
के० के० सिन्हा,
प्रमुख सचिव।

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 1884/I-14–2011-33(100)-2010T.C.-I, dated September 19, 2011:

No. 1884/I-14–2011-33(100)-2010T.C.-I
Dated Lucknow, September 19, 2011

IN exercise of the powers under section 3 of the Uttar Pradesh Janhit Guarantee Adhiniyam, 2011 (U.P. Act, no. 3 of 2011), *read* with section 21 of the Uttar Pradesh General Clauses Act, 1904 (UP Act no.1 of the 1904) the Governor is pleased to make the following amendment in Government notification no. 2198/I-14-2010-33(100)2010T.C.III dated January 15, 2011.

In aforsaid notification in the schedule *after* entries at serial no. 4 Amendment the following entries shall column wise be *inserted* namely :-

1	2	3	4	5	6	7	8
5	Transport	Issuance of duplicate copy of driving license	Licensing Authority	07 working days	Regional Transport officer of the region concerned	45 working days	Divisional commissioner
		Issuance of duplicate copy of conductor license.	Licensing Authority	07 working days	Regional Transport officer of the region concerned	45 working days	Divisional commissioner
		Issuance of duplicate copy of Registration Certificate.	Registering Authority	07 working days	Regional Transport officer of the region concerned	45 working days	Divisional commissioner
		Issuance of duplicate copy of Permit.	Secretary, Regional Transport Authority	07 working days	Deputy Transport commissioner of the zone concerned	45 working days	Divisional commissioner

By order,
K. K. SINHA,
Pramukh Sachiv.

पी०एस०यू०पी०–ए०पी० 422 राजपत्र (हि०)–2011–(1036)–599 प्रतियां (क०/टी०/आ०)।
पी०एस०यू०पी०–ए०पी० 11 सा० राजस्व–2011–(1037)–500 प्रतियां (क०/टी०/आ०)।